रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16112022-240309
CG-MH-E-16112022-240309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]	**नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944**
No. 581]	**NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 15 नवम्बर, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/105.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

I. विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, खंड (त) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण आ जाएगा-

*"**स्पष्टीकरण :** इस खंड के प्रयोजनार्थ, शब्द "अवधि" का अर्थ है – स्कीम के पहली बार बंद होने की तारीख से लेकर उसकी मीयाद [जैसा निधि दस्तावेजों (फंड डॉक्यूमेंट्स) में बताया गया हो] की अंतिम तारीख तक का समय;"*

II. विनियम 12 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

"(4) स्कीम के पहली बार बंद होने की घोषणा आनुकल्पिक निवेश निधि (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) द्वारा उसी प्रकार की जाएगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(5) उप-विनियम (2) के परंतुक के होते हुए भी, यदि आनुकल्पिक निवेश निधि स्कीम के पहली बार बंद होने की घोषणा निर्धारित तरीके से नहीं कर पाती, तो उसे स्कीम शुरू करने के लिए नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करना होगा और दूसरी अनुसूची में निर्धारित की गई स्कीम फीस अदा करनी होगी।"

III. विनियम 13 में,

i) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(4) आनुकल्पिक निवेश निधि की सीमित अवधि वाली स्कीम की अवधि की गणना उसी प्रकार की जा सकेगी और साथ ही साथ उसकी अवधि में बदलाव भी उसी प्रकार किया जा सकेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।"

ii) मौजूदा उप-विनियम (4) और (5), क्रमशः उप-विनियम (5) और (6) के रूप में पुन:संख्यांकित हो जाएंगे।

IV. विनियम 20 में,

i) उप-विनियम (12) में, शब्द और चिह्न "प्रायोजक, प्रबंधक या अभिहित भागीदारों (डेसिग्नेटेड पार्टनर) में कोई परिवर्तन होने पर या" हट जाएंगे;

ii) उप-विनियम (13) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"यदि प्रायोजक या प्रबंधक बदल रहे हों, अथवा आनुकल्पिक निवेश निधि, प्रायोजक या प्रबंधक के नियंत्रण में परिवर्तन हो रहा हो, तो आनुकल्पिक निवेश निधि को इस संबंध में बोर्ड से पूर्व मंजूरी लेनी होगी, जिसके लिए फीस भी जमा करनी होगी तथा कोई अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।"

iii) उप-विनियम (15) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"प्रबंधक और यथास्थिति आनुकल्पिक निवेश निधि का न्यासी (ट्रस्टी) या न्यासी कंपनी या निदेशक मंडल या अभिहित भागीदार (डेसिग्नेटेड पार्टनर) यह सुनिश्चित करेंगे कि आनुकल्पिक निवेश निधि की प्रत्येक स्कीम की आस्तियाँ (असेट्स) और देयताएँ (लाइबिलिटी) आनुकल्पिक निवेश निधि की दूसरी स्कीमों से पूरी तरह से अलग-अलग रहें; और प्रत्येक स्कीम के बैंक खाते और प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के खाते भी पूरी तरह से अलग-अलग रहें।"

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./404/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्, -

(क) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/24/6573, द्वारा

(ख) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

(ग) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा

(घ) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा

(ङ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा

(च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा

(छ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा

(ज) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा

(झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(ञ) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा

(ट) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा

(ठ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा

(ड) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(ढ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/33, द्वारा

(ण) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा

(त) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/57, द्वारा

(थ) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68, द्वारा

(द) 16 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/75, द्वारा

(ध) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/89, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th November, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No SEBI/LAD-NRO/GN/2022/105.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, –

I. In sub-regulation (1) of regulation 2,

i) in clause (p), in the Explanation,

a) the words "day of its launch" shall be replaced with "date of first close"; and

b) the words "last day" shall be replaced with "last date";

II. In regulation 12, after sub-regulation (3), the following new sub-regulations shall be inserted, namely, -

"(4) The first close of the scheme shall be declared by an Alternative Investment Fund in the manner as may be specified by the Board from time to time.

(5) Notwithstanding the proviso to sub-regulation (2), if the Alternative Investment Fund fails to declare the first close of the scheme in the specified manner, it shall be required to file a fresh application for launch of the scheme by paying the requisite scheme fee under the Second Schedule."

III. In regulation 13,

i) after sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(4) The manner of calculating the tenure of a close ended scheme of an Alternative Investment Fund, including the manner of modification of the tenure, may be specified by the Board from time to time."

ii) the existing sub-regulations (4) and (5) shall be renumbered as (5) and (6) respectively.

IV. In regulation 20,

i) in sub-regulation (12), the words and symbols "any change in the Sponsor, Manager or designated partners or any other" shall be replaced with the word "any";

ii) in sub-regulation (13),

a) after the words "In case of", the words and symbols "change of Sponsor or Manager, or" shall be inserted; and

b) after the words "taken by the Alternative Investment Fund", the words and symbol ", subject to levy of fees and any other conditions as may be specified by the Board from time to time" shall be inserted.

iii) after sub-regulation (15), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(16) The Manager and either the trustee or the trustee company or the Board of Directors or designated partners of the Alternative Investment Fund, as the case may be, shall ensure that the assets and liabilities of each scheme of an Alternative Investment Fund are segregated and ring-fenced from other schemes of the Alternative Investment Fund; and bank accounts and securities accounts of each scheme are segregated and ring-fenced."

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./404/2022-23]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –

(a) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.

(b) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

(c) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.

(d) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.

(e) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.

(f) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.

(g) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.

(h) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.

(i) 7th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(j) 9th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.

(k) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.

(l) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.

(m) 3rd August, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

(n) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.

(o) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI.LAD-NRO/GN/2021/41.

(p) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.

(q) 24th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.

(r) 16th March, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/75.

(s) 25th July, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/89.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.11.16 14:00:50 +05'30'